05

न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किट कोर्ट रीवा (म0प्र0)

COURT FEE भारत INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES 20 Rs.

A-201-

R. 3351-II/14

श्री रामानुज सोंधिया एड के द्वारा आज दिनांक 11.09.14 को प्रस्तुत किया गया।
रीडर सर्किट कोर्ट रीवा

547 11.9.14

क्रमांक 3086 रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज दिनांक ________ को प्राप्त
क्लर्क सर्किट कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. गंगा प्रसाद तनय बिसराम कोल उम्र 60 साल

2. ढवरी तनय सुखई कोल उम्र 55 साल

3. चित्रसेन तनय मनबहोर कोल उम्र 40 साल

4. रामसहीश तनय मटुकधारी कोल उम्र 45 साल

5. श्यामलाल तनय परमेश्वर कुम्हार उम्र 45 साल

6. कमलभान तनय परमेश्वर कुम्हार उम्र 40 साल

7. बृज लाल तनय समय लाल कुम्हार उम्र 35 साल

8. कामता तनय मथुरा चमेकार उम्र 47 साल

सभी निवासी ग्राम कन्हैया तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)

-----आवेदक/निगरानीकर्तागण

रामानुज सोंधिया एड0 रीवा
8827257233

बनाम

अनुरुद्ध प्रसाद मिश्रा तनय सतानन्द मिश्रा उम्र 70 साल निवासी ग्राम मिसिर-गवां थाना व तहसील मऊगंज जिला रीवा (म0प्र0)----अनावेदक/गैरनिगरानीकर्ता

निगरानी विरुद्ध आदेश न्यायालय अपर आयुक्त रीवा सम्भाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 249/निगरानी/2008-2009 आदेश दिनांक 30-8-2014

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0 राजस्व संहिता सन् 1959 ई0 ।

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

बृजलाल

कामता

XXXIX(a)-BR(H)-11

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-3351/II/14 ...... जिला रीवा ..............

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 3.9.15 | प्रकरण में आवेदक की ओर से रामानुज सोंधिया अभिभाषक उपस्थित। आवेदक अभि० को ग्राह्यता हेतु धारा 52 के आवेदन पर सुना गया।<br>आवेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्कों में बताया गया कि नायब तहसीलदार द्वारा अपने भूमि कंडन प्रकरण में पुनर्विलोकन की अनुमति चाही गयी। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा [illegible] पुनर्विलोकन की अनुमति आदेश दिनांक 22.8.03 को प्रदान की जो अवैध थी। इसके अतिरिक्त आवेदक अभि० द्वारा वही तर्क प्रस्तुत किये जो निगरानी मेमो में अंकित हैं तथा अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत किये गये थे। जिन्हें यहां पुनः उल्लेखित करने की आवश्यकता नहीं है किन्तु पर विचार किया जावेगा।<br>आवेदक अभि० के तर्कों के प्रकाश में एवं निगरानी मेमो में अंकित बिन्दुओं के संबंध में अधीनस्थ अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30.8.14 की प्रमाणित प्रति का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त द्वारा अपने आदेश में विवादित भूमियों एवं प्रकरण में वांछित कार्यवाही के सम्बन्ध में विस्तृत एवं पारदर्शी विश्लेषण करता हुआ आदेश पारित किया है ऐसी दशा में प्रकरण में उपलब्ध तथ्यों का पुनः विश्लेषण करने की आवश्यकता नहीं है। अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30.8.14 में किया गया समग्र विश्लेषण इस आदेश | |

R.3351/III/14 रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही तथा आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| | का भाग माना जावेगा। ऐसी स्थिति में अपर आयुक्त का आदेश विधि सम्मत एवं नीतिगत होने से उसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता न होने से स्थिर रखा जाता है।<br><br>प्रकरण में उपरोक्त परिस्थितियों में ग्राह्यता का पर्याप्त आधार न होने से निगरानी अग्राह्य की जाती है। पक्षकार सूचित हों।<br><br>सदस्य | |